लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 740
07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

समर्थ योजना

740. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आरम्भ की गई समर्थ योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अंतर्गत संगठित वस्त्र क्षेत्र में सृजित नौकरियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित समग्र कौशल ढांचे के अनुरूप, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, समर्थ- नामक योजना शुरू की थी। समर्थ कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए, संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में उद्योग के प्रयासों की पूर्ति करने के लिए मांग आधारित, प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करता है। यह योजना संगठित क्षेत्र (कताई और बुनाई को छोड़कर) के लिए उद्योग-उन्मुख प्रवेश स्तर और अपस्किलिंग कार्यक्रम और पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में बुनकरों/कारीगरों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रदान करती है। समर्थ के तहत कुल 2,56,985 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (दिनांक 02.02.2024 तक) किया गया है। समर्थ के तहत लाभार्थियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और पूर्ति करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। वस्त्र क्षेत्र में कौशल अंतर का निराकरण और सतत आजीविका का सृजन इस योजना के प्रमुख परिणाम मानदंड हैं, कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा मुख्यधारा क्षेत्र के तहत प्रवेश स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए 70% प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) लाभार्थियों और अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों के लिए 90% को प्लेसमेंट प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। पारंपरिक वस्त्र पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण के लिए स्वरोजगार का प्रावधान उपलब्ध है। समर्थ के अंतर्गत, दिनांक 02.02.2024 तक 2.56 लाख प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) लाभार्थियों में से, 1.81 लाख लाभार्थियों को स्वरोजगार सहित प्लेसमेंट प्रदान किया गया है।

(घ): वस्त्र मंत्रालय देश में वस्त्र उद्योग के समग्र विकास के साथ साथ वस्त्र क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर सृजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र), संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (एटीयूएफएस), सिल्क समग्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

अनुबंध-I

समर्थ के तहत लाभार्थियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	दिनांक 02.02.2024 को प्रशिक्षित (उत्तीर्ण)
1	आंध्र प्रदेश	6,594
2	अरुणाचल प्रदेश	87
3	असम	7,534
4	बिहार	6,331
5	छत्तीसगढ़	2,357
6	गोवा	83
7	गुजरात	8,505
8	हरियाणा	12,563
9	हिमाचल प्रदेश	550
10	झारखंड	2,177
11	कर्नाटक	61,146
12	केरल	1,859
13	मध्य प्रदेश	5,550
14	महाराष्ट्र	9,205
15	मणिपुर	1,207
16	मेघालय	139
17	मिजोरम	610
18	नगालैंड	1,037
19	ओडिशा	6,627
20	पंजाब	759
21	राजस्थान	12,383
22	सिक्किम	66
23	तमिलनाडु	55,939
24	तेलंगाना	7,004
25	त्रिपुरा	1,281
26	उत्तर प्रदेश	34,049
27	उत्तराखंड	624
28	पश्चिम बंगाल	2,076
	केन्द्र शासित	
29	अण्डमान और निकोबार	88
30	चंडीगढ़	87
31	दिल्ली	4,286
32	जम्मू और कश्मीर	2,007
33	लद्दाख	26
34	पुदुचेरी	334
35	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1,815
	कुल	2,56,985

***